न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारीः पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –59/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)
GCMS No. 2016/00232

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा
——प्रार्थी.

बनाम

ओंकार आत्मज छपना लश्करी निवासी जुल्मी मृतक जर्ये का0मु0
1. चेनराम आत्मज ओंकार
2. मुरार आत्मज ओंकार
3. मोतीलाल आत्मज ओंकार
4. रमेश आत्मज ओंकार
5. द्रोपती बाई पुत्री ओंकार
6. गुलाब बाई पुत्री ओंकार
सर्व जाती लश्करी निवासीगण जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
——अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत् ।

उपस्थित–
1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 08/07/2025

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम जुल्मी के आराजी खसरा नम्बर 1091 रकबा 0.49 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, ओंकार फोत होने पर पुत्र चेनराम पर तामिल हुआ । ओंकार के कायम मुकामान की सूचना तहसीलदार रामगंजमण्डी से प्राप्त की गई । कायम मुकामान की ओर से अभिभाषक सुनील कुमार वर्मा का वकालतनामा दिनांक 11.3.2024 को पेश हुआ, किन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं दिया गया । दिनांक 3.6.2025 को अन्तिम अवसर दिया जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बन्द किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम जुल्मी तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1091 रकबा 0.49 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का कोई जवाब नहीं दिया ओर ना ही कब्जा काश्त के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है जिससे जाहिर हो रहा है कि आवंटित भूमि पर आवंटी के वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है । अतः अप्रार्थी द्वारा

आवंटन शर्तों की अवहेलना की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी की खसरा 1091 रकबा 0.49 हे0, भूमि अप्रार्थी ओंकार को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी के कायम मुकामान की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया है ओर ना ही कब्जा काश्त करने की पुष्टि में खसरा गिरदावरी की नकलें प्रस्तुत की है । इस प्रकार आवंटी द्वारा उक्त आवंटित भूमि में कोई रूचि नहीं होकर कब्जा काश्त नहीं की जा रही है तथा आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1091 रकबा 0.49 हे0, भूमि अप्रार्थी को आवंटन की गई थी । आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाने से आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है । अतः अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा